(c) by when this quota is likely to be filled up by the end of the academic session?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) to (c) Yes, Sir. The promotion of Trained Graduate Teachers as Post Graduate Teachers as per quota could not be effected on account of a writ petition filed in Madras High Court by the National Society of Physical Education Teachers. They have prayed that Physical Education Teachers in the Vidyalayas should also be considered for promotion as Post Graduate Teachers, against the promotion quota, as in the case of Trained Graduate Teachers. The Madras High Court issued a notice to the Sangathan as to why the petitioners' prayer should not be granted. Kendriya Vidyalaya Sangathan was advised that it would be desirable to get the direction of the High Court of Madras before effecting promotions of Trained Graduate Teachers as Post Graduate Teachers. Accordingly, the Sangathan has moved a petition before the Madras High Court, seeking permission to do so. The decision of the court is awaited. However, the corresponding number of vacancies of Post Graduate Teachers have been kept unfilled for promotion of Trained Graduate Teachers.

Further action in this regard will be taken when the directions of the Court are available.

Powers of Board of Governors of KVS to Approve Government's Decision

817. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Starred Question 202 given in the Rajya Sabha on the 27th March, 1990 and state:

(a) whether the Board of Governors can consider and approve or reject various decisions taken by Government; and

(b) if so, what are the details of the decisions of Government considered and approved of or rejected by the Sangathan during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) The recommendations of the Kendriya Vidyalaya Sangathan Review Committee were examined by an Empowered Committee constituted by the Government. Together with the advice of the Empowered Committee, the recommendations of the Review Committee have been sent to the Kendriya Vidyalaya Sangathan for the purpose of follow up action, as per rules. The Kendriya Vidyalaya Sangathan has intimated that the matter will be placed before the Board of Governors at the next meeting.

Since Kendria Vidyalaya Sangathan is an autonomous body, all the decisions are to be taken by it after approval of the same by its Board of Governors and as per established rules. The question of approving of or rejecting Government decision by the Board of Governors, therefore, does not arise.

विज्ञान शिक्षा का ह्रास

818. श्री राम जेठमलानी :
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का ह्रास हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में हाल में आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि शिक्षा का स्तर सुधारने और विकास की गति बनाये रखने की दृष्टि से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का गठन किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इस संस्था की उपलब्धियों के ब्यौरे क्या-क्या हैं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि नयी पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने में और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के मामले में पिछले कई वर्षों से इस संस्था ने कोई खास प्रगति नहीं की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) सरकार अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों में विज्ञान शिक्षा की कोटि सुधारने के प्रयास करती है, जिनमें पाठ्य-चर्चाओं का आवधिक संशोधन, अद्यतन पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन, विज्ञान शिक्षकों का पुनः अनुस्थापन, और विज्ञान प्रयोग-शालाओं तथा पुस्तकालयों को सुदृढ़ करना शामिल है । तथापि, यह सही है कि देश में विज्ञान शिक्षा के सुधार के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसे किसी संगठन की जानकारी नही है जिसने भारतीय शिक्षा के किसी पहलू का अध्ययन प्रकाशित किया हो ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की कुछेक उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

- कक्षा 1 से XII के संशोधित पाठ्य-विवरणों का विकास और संशोधित पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन ;

- सभी स्तरों पर और विज्ञान सहित विशेषता प्राप्त विषय क्षेत्रों के लिए स्कूल शिक्षकों का प्रशिक्षण स्कूल शिक्षकों के व्यापक अनुस्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत कई लाख स्कूल-शिक्षकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं;

- प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा के लिए शैक्षिक तथा मनोरंजक सामग्री का विकास और राज्यों को उनके प्रारंभिक शिशु शिक्षा इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता ।

- प्राथमिक स्तर पर छात्रों की उपलब्धि का अध्ययन और स्कल से बाहर के बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्रों की स्थापना/प्रबंध; गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को समथन देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना ;

- उच्च माध्यमिक स्तर के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के वास्ते नियमावली का विकास, विज्ञान प्रयोगशालाओं के आयोजन का अध्ययन, स्कूलों में विज्ञान शिक्षण के लिए मार्ग-दर्शी रूपरेखाएं प्रकाशित करना, विज्ञान किटों का विकास और निर्माण ।

- अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन आयोजित करना, जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्राइमर/पाठ्यपुस्तकें तैयार करना ।

- 62 व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री और पाठ्यचर्या का विकास ।

- विकलांगता के कार्यात्मक मूल्यांकन के संबंध में पुस्तिका तैयार करना, विकलांग के समेकित शिक्षा में कार्यरत राज्य स्तर के पदाधिकारियों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम, कैपस्यूलेटेड शैक्षिक कार्यक्रमों (शिक्षकों के लिए) और श्रव्य कार्यक्रमों का निर्माण, शैक्षिक वीडियो टेपों और फिल्मों की प्रदर्शनी आयोजित करना, ई.टी.वी. कार्यक्रमों के निर्माण के लिए देश के भीतर क्षमताओं का सृजन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने नवोदय विद्यालयों में दाखिले के लिए चयन परीक्षाएं आयोजित की, पांचवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण आयोजित किया, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति देने के लिए वार्षिक द्वितीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित की, स्कूल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की, जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक एवं प्रशिक्षण कार्यकलाप शुरू किये और द्वि-पक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम कार्यान्वित किये ।

दिल्ली में नये कालेजों का खोला जाना

819. श्री राम जेठमलानी :
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से स्कूल की शिक्षा पूरी करके आगे अध्ययन करने हेतु कालेज की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नियमित कालेजों की संख्या में वृद्धि की है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में वर्ष वार खोले गये नये कालेजों की संख्या क्या है ;

(घ) क्या चालू वर्ष में कोई नये कालेज खोले जा रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1987–88 में तीन नए कालेज और 1988–89 में एक नया कालेज खोला गया था ।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, उन्होंने 1990–91 के लिए अपने योजनागत आवंटन में यमुनापार में दो कालेज और पश्चिम दिल्ली में एक कालेज खोलने के लिए प्रावधान किया है।

820. [Transferred to the 24th May, 1990]

5–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये शिक्षा

821. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में 5 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों में दाखिल करने के प्रति वचनबद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई समयबद्ध योजना कार्यान्वित करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990–91 से वर्ष 1995–96 की अवधि के दौरान देश में उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी होगी; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त बच्चों के लिए कितने विद्यालयों की आवश्यकता पड़ने की संभावना है और सरकार कितने विद्यालय खोल पाने में सक्षम होगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए जहां तक सम्भव हो स्कूलों से माध्यम से और यदि आवश्यक हो तो गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के